

## World Trade Organisation (विश्व व्यापार संगठन)

1930 की विश्वव्यापी मंडी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास अस्त-व्यस्त हो गया। इससे भारत के लिए नवंबर, 1945 में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा शैजगार के विस्तार के उद्देश्य से अंगक प्रस्ताव पारित किए। अंततः 30 अक्टूबर 1947 को जेनेवा (स्वीटिजरलैंड) में 23 देशों द्वारा स्थीमा शुल्कों (Custom duties) से संबंधित एक सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते को जीट (General Agreement on Tariff and Trade - GATT) के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ। प्रारंभ में इसकी स्थापना एक अस्थायी प्रक्रिया के रूप में की गई थी लेकिन कानूनित रूप में यह एक स्थायी समझौता बन गया। जीट का मुख्यालय जेनेवा था। 12 दिसम्बर 1994 को GATT का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया तथा इसकी जगह 1 जनवरी 1995 से स्थापित विश्व व्यापार संगठन - WTO ने लै ली।

GATT की उत्तरवाही दौर की जन्मी वार्ता (1986-93) के उपरांत उत्तरवाही दौर के समझौते पर भौतिकों के भराकश बाहर में अप्रैल 1994 में जीट के सदस्य शाष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को WTO की विधिवत स्थापना हो गई तथा इसने विश्व व्यापार के नियमन के लिए एक आंतरिक संगठन के रूप में GATT का स्थान लै लिया। GATT के विपरित WTO एक स्थायी संगठन है तथा इसकी स्थापना सदस्य शाष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संघिय के आधार पर हुई है।

**WTO का क्षेत्र (Scope) -** GATT की तुलना में WTO ज्यादा व्यापक है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक विकास स्पर्ध क्षेत्र कृषि की शामिल किया जा सकता है तथा माल के उत्पादन प्रक्रिया के लिए प्रमाण रखने वाली अन्य क्षेत्रों की भी जोड़ जाया है। अन्य नए क्षेत्र इस प्रकार हैं:

1) व्यापार संबंधी दौषिक सम्पदा अधिकार (Trade Related Intellectual Property Rights - TRIPS)

2) व्यापार संबंधी निवेश उपाय (Trade Related Investment Measures - TRIMs)

3) देशों में व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Trade in Services - GATS)